Central Pension Accounting Office (CPAO) Department of Expenditure, Ministry of Finance Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066

All Central Civil Pensioners are informed that CPAO, D/o Expenditure, M/o Finance, Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 is going to organize a Pension Adalat, which will be held on 20th November, 2023 through hybrid mode (Physically and Virtually) at Brahmaputra Hall, HQ, DG Assam Rifles, Old DGAR Complex, Laitumkhrah, Shillong-793011(Meghalaya). This Pension Adalat is going to be organized especially for those Pensioners who either have retired from North East Region or have been Settled/Residing in North East Region.

Therefore, all Central Civil Pensioners/Family Pensioners (except Railway, Defence, Post and Telegraph) may visit CPAO website https://cpao.nic.in to register their grievances or send their grievances duly filled in the prescribed format through e-mail to cccpao@nic.in or via post to Sr. Accounts Officer, Pensioners Facilitation Cell of this office by **15th November**, **2023**. The prescribed format is available at CPAO website. To participate in Pension Adalat, a link will be sent by CPAO one day before the Pension Adalat on the registered mobile number or e-mail for those pensioners who will join through Video Conferencing. The resolution of grievance registered will be done for those who will attend the Pension Adalat physically/virtually on 20th November 2023. Kindly mention your PPO Number, Bank Account Number, Contact Address, Mobile Number, e-mail ID and mode of joining the Pension Adalat (Physically/Virtually) along with your grievance. If the grievance is being sent by post, then "Pension Adalat-2023 (NE)" may be superscripted on the envelope.

Chief Controller (Pensions)

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (के. पें. ले. का.) व्यय विभाग,वित्त मंत्रालय त्रिकूट-॥, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

सभी केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों को स्चित किया जाता है कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, त्रिक्ट-॥, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 एक पेंशन अदालत का आयोजन करने जा रहा है, जो 20 नवंबर, 2023 को हाइब्रिड माध्यम (भौतिक और वर्चुअल) से ब्रह्मपुत्र हाल, मुख्यालय, महानिदेशक-असम राइफल्स, ओल्ड डी.जी.ए.आर.कॉम्प्लेक्स, लाइतुमखाह, शिलांग-793011 (मेघालय) में आयोजित की जाएगी। यह पेंशन अदालत मुख्यतः उन पेंशन भोगियों के लिए आयोजित की जा रही है जो या तो उत्तर-पूर्व क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए है अथवा उत्तर-पूर्व क्षेत्र मे स्थापित/रह रहे हैं।

इसलिए, सभी केंद्रीय सिविल पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी (रेलवे, रक्षा, डाक और टेलीग्राफ को छोड़कर) अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय वेबसाइट https://cpao.nic.in पर जा सकते हैं या cccpao@nic.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरी हुई अपनी शिकायतें भेज सकते हैं या इस कार्यालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पेंशनेस फेसिलिटेशन सेंटर को डाक के माध्यम से 15 नवंबर, 2023 तक भेज सकते हैं। निर्धारित प्रारूप के. पें. ले. का. वेबसाइट पर उपलब्ध है। पेंशन अदालत में भाग लेने के लिए, जो भी पेंशनभोगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेगा उनको के. पें. ले. का. द्वारा पेंशन अदालत से एक दिन पहले उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल पर एक लिंक भेजा जाएगा। पंजीकृत शिकायत का समाधान उन लोगों के लिए होगा जो दिनांक 20 नवंबर, 2023 को पेंशन अदालत में भौतिक/वर्चुअल रूप से उपस्थित होंगे। कृपया अपनी शिकायत के साथ साथ अपना पी.पी.ओ. नंबर, बैंक खाता संख्या, संपर्क पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल और पेंशन अदालत (भौतिक/वर्चुअल) में शामिल होने के तरीके का उल्लेख करें। यदि शिकायत डाक द्वारा भेजी जा रही है, तो लिफाफे पर "पेंशन अदालत-2023 (उ-पू-)" लिखा होना चाहिए।

	mily Pensioner Grievances for redressal
Pension Payment Order (PPO) No. :-	
पेंशनर का पी.पी.ओ. संख्या :	
Bank Name & Account Number: बैंक का नाम एवं खाता नंबर:	
Full address:- घर का पूरा पता:	
Mobile number/Alternate Mobile nu संपर्क नंबर/वैकल्पिक फ़ोन नंबर) :	mber (if any):
e-mail ID:- ई-मेल आई डी:	
Mode of attending Pension Adalat:- (पेंशन अदालत में भाग लेने का तरीका):	(Physical/Virtual)
	(Physical/Virtual) (Related to Bank/CPAO/PAO)
(पेंशन अदालत में भाग लेने का तरीका): Type of grievance-	
(पेंशन अदालत में भाग लेने का तरीका): Type of grievance- (शिकायत का प्रकार): Grievance Description:	
(पेंशन अदालत में भाग लेने का तरीका): Type of grievance- (शिकायत का प्रकार): Grievance Description: (शिकायत का विवरण):	
(पेंशन अदालत में भाग लेने का तरीका): Type of grievance- (शिकायत का प्रकार): Grievance Description: (शिकायत का विवरण):	(Related to Bank/CPAO/PAO)
(पेंशन अदालत में भाग लेने का तरीका): Type of grievance- (शिकायत का प्रकार): Grievance Description: (शिकायत का विवरण):	(Related to Bank/CPAO/PAO)
(पेंशन अदालत में भाग लेने का तरीका): Type of grievance- (शिकायत का प्रकार): Grievance Description: (शिकायत का विवरण):	(Related to Bank/CPAO/PAO)
(पेंशन अदालत में भाग लेने का तरीका): Type of grievance- (शिकायत का प्रकार): Grievance Description: (शिकायत का विवरण):	(Related to Bank/CPAO/PAO)
(पेंशन अदालत में भाग लेने का तरीका): Type of grievance- (शिकायत का प्रकार): Grievance Description: (शिकायत का विवरण):	(Related to Bank/CPAO/PAO)
(पेंशन अदालत में भाग लेने का तरीका): Type of grievance- (शिकायत का प्रकार): Grievance Description: (शिकायत का विवरण):	(Related to Bank/CPAO/PAO)
(पेंशन अदालत में भाग लेने का तरीका): Type of grievance- (शिकायत का प्रकार): Grievance Description: (शिकायत का विवरण):	(Related to Bank/CPAO/PAO)
(पेंशन अदालत में भाग लेने का तरीका): Type of grievance- (शिकायत का प्रकार): Grievance Description: (शिकायत का विवरण):	(Related to Bank/CPAO/PAO)

Dated: (Signature of Pensioner/Family Pensioner) दिनांक: (पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर का हस्ताक्षर)